

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमलेश देवी पत्नी रामलाल मीणा निवासी बाग की झूपड़िया
बनाम

रामदेव पुत्र रतन मीणा निवासी मेलवा

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 224 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मेलवा प.ह. किशनगढ़ आराजी सं. 211, 206, 208, 209, 210, 213, 214/2 कुल कित्ता 07 रकबा 3.4560 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की तार्ड में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम मेलवा प.ह. किशनगढ़ आराजी सं. 211, 206, 208, 209, 210, 213, 214/2 कुल कित्ता 07 रकबा 3.4560 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 3000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 300 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/224/2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय— प्र.सं. 224 / 2024 अनवान कमलेश देवी पत्नी रामलाल मीणा निवासी बाग की झूपड़िया ब्रनाम रामदेव पुत्र रतन मीणा निवासी मेलवा, देवराज पुत्र रतन मीणा निवासी मेलवा, रामपाल पुत्र गिरधारी मीणा निवासी मेलवा, मगना पुत्र मोतीलाल मीणा निवासी मेलवा, गोपाल पुत्र उगमा मीणा निवासी मेलवा, उगमा पुत्र जीता मीणा निवासी मेलवा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम मेलवा प.ह. किशनगढ़ आराजी सं. 211, 206, 208, 209, 210, 213, 214/2 कुल किता 07 रकबा 3.4560 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 3000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 300 रुपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा